देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

मंगलवार, 20 अगस्त 2019

अंक –2019/ACI/04

कहानी गोपालपुरा बाईपास रोड की#भाग-4

माननीय मंत्रीजी !!!

कोचिंग संस्थानों का पक्ष जरुर सुनिये,मगर सैंकड़ों बच्चों की मौत के सौदागर मत बनियें|

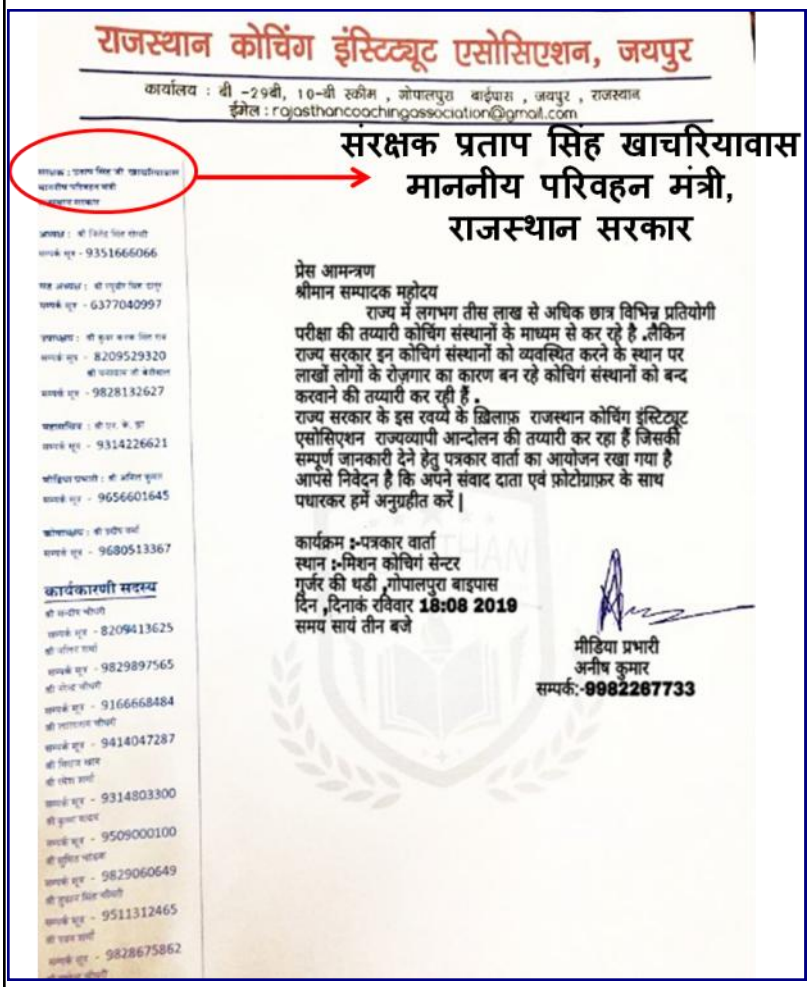

राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन, जयपुर

कार्यालय : बी -29बी, 10-बी स्कीम , गोपालपुरा बाईपास , जयपुर , राजस्थान
ईमेल : rajasthancoachingassociation@gmail.com

संरक्षक प्रताप सिंह खाचरियावास
माननीय परिवहन मंत्री,
राजस्थान सरकार

प्रेस आमन्त्रण
श्रीमान सम्पादक महोदय
राज्य में लगभग तीस लाख से अधिक छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तय्यारी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कर रहे है ,लैकिन राज्य सरकार इन कोचिंग संस्थानों को व्यवस्थित करने के स्थान पर लाखों लोगों के रोज़गार का कारण बन रहे कोचिंग संस्थानों को बन्द करवाने की तय्यारी कर रही हैं ,
राज्य सरकार के इस रवय्ये के ख़िलाफ़ राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन राज्यव्यापी आन्दोलन की तय्यारी कर रहा हैं जिसकी सम्पूर्ण जानकारी देने हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया है आपसे निवेदन है कि अपने संवाद दाता एवं फ़ोटोग्राफ़र के साथ पधारकर हमें अनुग्रहीत करें |

कार्यक्रम :-पत्रकार वार्ता
स्थान :-मिशन कोचिंग सेन्टर
गुर्जर की थडी ,गोपालपुरा बाइपास
दिन ,दिनांक रविवार **18:08 2019**
समय सायं तीन बजे

मीडिया प्रभारी
अनीष कुमार
सम्पर्क:-**9982267733**

कार्यकारणी सदस्य
- 8209413625
- 9829897565
- 9166668484
- 9414047287
- 9314803300
- 9509000100
- 9829060649
- 9511312465
- 9828675862
- 9351666066
- 6377040997
- 8209529320
- 9828132627
- 9314226621
- 9656601645
- 9680513367

कोचिंग संस्थानों ने बनायीं एसोसिएशन,राज्य के रसूखदार और बाहुबली मंत्री को बनाया संरक्षक

सूरत हादसे के बाद जागे जे.डी.ए.नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा की गयी ताबड़तोड़ कार्यवाही से बिदके कोचिंग संस्थानों ने **" राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन"** नामक संगठन बना कर परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास को उनकी राजनैतिक पहुँच,सताधारी पक्ष के मंत्री के ओहदे का फायदा उठाने की नियत से संरक्षक बनाया है|सूत्रों के अनुसार इस संगठन के नाम पर लाखों रूपये स्थानीय कोचिंग संस्थानों से जे.डी.ए.नगर निगम और यातायात पुलिस व अन्य सरकारी विभागों की कार्यवाही से बचाने के नाम पर इकट्ठे किये जा रहे है|कहने को तो यह राज्य स्तर का संगठन है ,परन्तु वास्तव में यह गोपालपुरा बाईपास पर सरकारी जमीन पर,आवासीय परिसरों में चल रहे कोचिंग संस्थानों,भवन मालिकों का संगठन है,जो अपने कोचिंग सस्थानों और भवनों को बचाने की जुगत में यह खेल,खेल रहे है|

इस संगठन के एक पदाधिकारी की तो दो-दो अवैध बिल्डिंगों में एलन करियर के इंस्टिट्यूट चल रहे है जिसका मासिक किराया लाखों रूपये है,साथ ही बच्चों को रखने के लिए सैंकड़ों बिल्डिंगों में अवैध होस्टल,लायिब्रेरियां खोल रखी है,जिससे कोलोनीवासियों का जीना दुर्भर हो रखा है|

नियमविरुद्ध संचालित कोचिंग संस्थानों पर कार्यवाही नहीं करने के लिए बना रहे राजनैतिक दबाव,यह दे रहे है दलीलें|

इस पूरे मामले को दबाने के लिए परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है|जिनके कहने पर ही एसोसिएशन ने यू.डी.एच.मंत्री श्री शांति धारीवाल से मुलाक़ात कर कार्यवाही टालने का दबाव बनाया है|अपनी दलीलों में एसोसिएशन द्वारा यह बताया गया है कि एसोसिएशन के सदस्य बहुत कम लागत के,बिना किसी सरकारी मदद के,केवल सेवा के भाव से कोचिंग का कार्य करते है,उनका कहना है कि यह संस्थान 160 फीट चौड़ी रोड पर नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे?यदि इन कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तो सैंकड़ों छात्र हिंसा और आन्दोलन का सहारा लेंगे|इस प्रकार की धमकियों से लोकतंत्र को भीडतंत्र में तब्दील करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है|

मंत्री,अधिकारी कर रहे है सैंकड़ों विद्यार्थियों की जान का सौदा

सूत्रों के अनुसार इन कोचिंग संस्थानों को कार्यवाही से बचाने के लिए यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल ने जे.डी.ए. अधिकारियों को इन कोचिंग संस्थानों का पक्ष सुनने को कहा है जिसकी आड़ में सैंकड़ों बच्चों की जान का सौदा करते हुए इन अवैध और नियम विरुद्ध चल रहे कोचिंग संस्थानों पर कार्यवाही टालने की सौदेबाजी को अंजाम दिया जा रहा है|जिसमे राज्य की एक राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारी, राज्य सरकार के मंत्री,और जे.डी.ए. के अधिकारी भी शामिल है|

यह है कोचिंग संस्थानों की सच्चाई

1. जयपुर में ही नहीं पूरे देश में कोचिंग सेंटरों ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है|
2. जिसके चलते लाखों बच्चे स्कूल,कोलेजों में चलने वाली अपनी नियमित कक्षाओं में नहीं जाकर इन कोचिंग संस्थानों में धक्के खाते रहते है|

3. इन कोचिंग संस्थानों में आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते हर साल कई मासूम बच्चे अवसाद में आकर आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने को मजबूर हो जाते है|
4. इन कोचिंग संस्थानों में भी आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते जयपुर सहित राजस्थान के अन्य शहरों में कोचिंग के नाम पर गली गली में कोचिंग मंडिया बना दी गयी है,जहाँ एडमिशन के लिए बच्चों को आकर्षित करने के लिए सब्जी मंडी जैसी होडाहौड मची रहती है|
5. इन कोचिंग संस्थानों में बच्चों से कोचिंग के नाम पर पचास हजार से दो लाख तक सालाना फीस वसूली जाती है,अब तो स्कूलों की तरह इन कोचिंग संस्थानों द्वारा भी कोचिंग यूनिफार्म,बैग व अन्य शिक्षण सामग्रियां अनिवार्य कर दी है|जिससे सिद्ध होता है कि यह कोचिंग संस्थान कोई सेवा का काम नहीं कर अपने मेवे के लिए कोचिंग का कार्य कर रहे है|
6. कम लागत और अधिक मुनाफे के सिद्धांत पर चलते हुए,यह अवैध कोचिंग मंडियाँ शहर के आवासीय इलाकों में संचालित हो रही है,जहाँ पर किराया सस्ता होता है और जगह ज्यादा|इन इलाकों में कोचिंग सेंटरों के संचालन से भीड़भाड़,पार्किंग,लडाई-झगडा आदि समस्याएं पनपने लगती है,जो वहां रह रहे नागरिकों के जीवन में खलल पैदा करती है|

7. परन्तु अपने लालच के चलते यह कोचिंग सेंटर भूल जाते है कि आवासीय परिसरों में व्यवसायिक गतिविधियाँ अवैध की श्रेणी में आती है,जो कि दंडनीय है जिसके लिए 5 से 45 दिन की सजा और पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना संभव है|

8. सूरत हादसा ऐसे ही अवैध कोचिंग सेंटर का भयावह परिणाम है,जिसके चलते 22 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पडा|

9. जयपुर शहर में संचालित अधिकांश कोचिंग संस्थान आवासीय परिसरों/सरकारी जमीनों पर संचालित है,जो कोचिंग संस्थान व्यवसायिक भूखंड पर संचालित है,उनके भी भवन मानचित्र अनुमोदित नहीं है|इन भवनों में नियमानुसार ना तो सेटबैक छोड़े गए है और ना ही पार्किंग के लिए जगह|कोचिंग हेतु तय मानदंडों की पालना तो बहुत दूर की बात है|

रूफटॉप रेस्टोरेंट्स व कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई टली

जयपुर, (कासं)। शहर में बिना फायर एनओसी संचालित कोचिंग सेंटर्स और अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर जेडीए प्रशासन ने कार्रवाई फिलहाल टाल दी है। 21 व 22 अगस्त को इन संस्थानों के मालिकों से उनका पक्ष सुनने के नाम पर सुलह वार्ता बुलाई गई हैं, इसके बाद ही कुछ निर्णय हो पायेगा। सूत्रों की मानें तो जेडीए प्रशासन के बैकफुट पर आने के पीछे राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन जयपुर द्वारा दी गई आंदोलन की चेतावनी को माना जा रहा है।

दरअसल जेडीए आयुक्त टी. रविकांत ने शहर में बिना पार्किंग सुविधा, कमर्शियल जमीन और फायर एनओसी के संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों पर

■ जेडीए प्रशासन 21 व 22 अगस्त को दोनों संस्थानों के संचालकों के साथ करेगा बैठक

प्रवेश और निकास की अलग-अलग व्यवस्था नहीं है। इसके बाद जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जोन 1 से लेकर 8 तक करीब 230 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स और कोचिंग संस्थानों को नोटिस थमाया था। शेष बचे जोन और पृथ्वीराज नगर में भी सर्वे कराया है। इसके विरोध में राजस्थान

भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना का जिम्मेदार कौन?

सवाल यह उठता है कि यदि अभी कोई ना कोई रास्ता निकालकर जे.डी.ए. इन नियम विरुद्ध कोचिंग संस्थानों पर कार्यवाही करने से मना कर देता है और भविष्य में इन नियम विरुद्ध संचालित कोचिंग संस्थानों में कोई अनहोनी या दुर्घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?

1. परिवहन मंत्री,प्रताप सिंह खाचरियावास
2. नगरीय विकास मंत्री,शांति धारिवाल
3. आयुक्त,टी.रविकांत
4. पुलिस अधीक्षक,प्रीति जैन

रिहाइशी इलाकों में कोचिंग संस्थानों पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा- इस 'तमाशे' की इजाजत नहीं दी जा सकती

राजीव सिन्हा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोचिंग संस्थान रिहाइशी इलाके में नहीं होने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के कारण होने वाले हलचल की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होती है। पीठ ने साफ कहा कि इस 'तमाशे' की इजाजत नहीं दी जा सकती।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने दो टूक कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रिहाइशी इलाकों में नहीं होने चाहिए। पीठ ने कहा कि लोग कोचिंग संस्थान रिहायशी इलाके में खोल लेते हैं, जिससे वह इलाका सार्वजनिक स्थल बन जाता है। कोचिंग संस्थानों के कारण उस इलाके में भीड़भाड़ बढ़ जाती है। वहां शोरगुल होता है। लड़के मटरगश्ती करते हैं। जिससे स्थानीय निवासी, खास तौर से बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती है। ऐसे इलाकों की शांति खत्म हो जाती है। इसकेसाथ ही शीर्ष अदालत ने जयपुर के लाल कोठी इलाके में गैरकानूनी तरीकेसे चल रहे 118 कोचिंग स्थान को हटाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को दरकिनार कर दिया है। यह याचिका ऑल राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन द्वारा दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कोचिंग संस्थान वर्षों से चल रहे हैं। शेष पेज 9 पर ⊃

● कहा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कारण बढ़ती है भीड़भाड़, बुजुर्गों और बच्चों को होती है परेशानी

क्या था मामला

गत तीन फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में जयपुर के लाल कोठी इलाके में स्थित 118 कोचिंग संस्थानों को हटाने के लिए कहा था। ये 118 संस्थान 15 कॉलोनियों में है। ये कोचिंग संस्थान नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों में चलाए जा रहे थे।

कोचिंग सेंटरों को रिहायशी इलाकों से जाना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट पहले भी इसी तरह की एक एसोसिएशन के दावे को खारिज कर चुका है,जिसकी पैरवी कपिल सिब्बल जैसे नामी वकील द्वारा की गयी थी,परन्तु सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई राहत नहीं देते हुए आदेश दिए कि कोचिंग सेंटरों को रिहायशी इलाकों में संचालन करने की अनुमति नहीं दे सकते|

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/व०नि०सहा०/पु०अ०/2019/डी- 224 दिनांक : 16/8/2019

---: मिटिंग–नोटिस :---

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों का सर्वे कर निर्माण एवं सुरक्षा मापदण्डों की अवहेलना कर संचालित कोचिंग संस्थानों को जविप्रा अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन, जयपुर के पदाधिकारियों द्वारा आयुक्त, ज0वि0प्रा0 को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसके संबंध में विचार विमर्श हेतु दिनांक 21.08.2019 को प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण मंथन सभागार में बैठक का आयोजन प्रस्तावित है।

उक्त मिटिंग में निम्नांकित अधिकारियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है:–

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जविप्रा, जयपुर
3. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा, जयपुर
4. समस्त जोन उपायुक्त, जविप्रा, जयपुर
5. उपायुक्त फायर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
6. उप नियंत्रक प्रवर्तन–I, II, जविप्रा, जयपुर
7. समस्त जोन प्रवर्तन अधिकारी, जविप्रा, जयपुर

16/8/19

(प्रीति जैन ...)
पुलिस अधीक्षक,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
2. ...ी सचिव, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6. समस्त जोन उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
7. उपायुक्त फायर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
8. उप नियंत्रक प्रवर्तन–I, II, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. समस्त जोन प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10. केयर टेकर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. रक्षित पत्रावली

Scanned with CamScanner

पुलिस अधीक्षक,
जयपुर विकास प्राधिकरण,